UPMT010016432026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा

उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–775/2026

विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव बनाम उ.प्र.राज्य

आदेश

1. मुकदमा अपराध संख्या– 292/2018 धारा–420, 409, 406, 467, 468, 471 भा०दं०सं०, थाना– फरह, जिला– मथुरा के अभियुक्त **विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी किशनस्वरूप ने दिनाँक 28.01.2013 को कल्पतरु विल्डटेंक कॉरपोरेशन लि. चुरमुरा थाना फरह के आफिस में जाकर रहने के लिये एक फ़्रैट बुक कराया था, जिसमें प्रार्थी ने 50,000/– बतौर एडवांस बुकिंग दिये थे और तय हुआ था कि ग्राउन्ड फ़लोर पर फ़लैट 2 बीएचके दिया जायेगा, जिसका क्षेत्रफल 111 वर्ग गज (999 स्कायर फीट) कुल कीमत 13,49,000/– थी । इसके बाद प्रार्थी ने 35 किस्तों में 6,000/– प्रतिमाह के हिसाब से 2,10,000/– दिये तथा दि० 31.12.2015 को 2,00,000/– का चैक नंबर 211089 आई. सी .आई. सी. आई. बैंक का और दिया और कल्पतरू बिल्डर पर प्रार्थी के कुल 4,60,000/– पहुँच गये। जब प्रार्थी ने उक्त कम्पनी के मालिक जगदीश राणा से फ़लैट देने को कहा तो उसने दिनाँक 07.1.2018 को एलॉटमेंट लैटर दिया, जिस पर फ़लैट का स्वरूप 1 बी एच के की बात थी तो उसने कहा कि 2 बी एच के के नहीं है। प्रार्थी के रूपये फंसे होने के कारण प्रार्थी 1 बी एच के फ़लैट को लेने के लिये राजी हो गया। 1 बी एच के फ़लैट का क्षेत्रफल 600 स्कायर फीट 66.6 वर्ग गज होता है और उसकी कीमत 7,99,000/– थी। उक्त लैटर में यह शर्त लिखी थी कि कम्पनी अगर 6 माह के अन्दर फ़लैट तैयार करके नहीं देती है तो 5/– स्कायर फीट के हिसाब से पैन्लटी देगी। प्रार्थी को दि० 07.01.2016 में एलॉटमेंट लैटर मिलने के 6 माह बाद फ़लैट तैयार होकर नहीं मिला , तो प्रार्थी कई बार उक्त कम्पनी के ऑफिस गया और अपना फ़लैट बनाकर देने को कहा अन्यथा हमारे रूपये वापस कर दो। उक्त कम्पनी के मालिक व डायरेक्टर प्रार्थी को फ़लैट देने की कहकर गुमराह करते रहे, परन्तु आज तक प्रार्थी को फ़लैट नहीं दिया और न ही प्रार्थी के 4,60,000/–₹ वापस किये। इसलिये उक्त कम्पनी के मालिक जे०के०एस०राणा और

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.03.11 12:39:13 ANAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसके डायरेक्टर्स ने साजिश करके प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करके चार सौ बी सी करके अमानत में खयानत की और प्रार्थी के रूपये हड़प कर लिये हैं। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण जयकिशन सिंह राणा मालिक व डायरेक्टर कल्पतरू बिल्डटैक के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 292/2018, अन्तर्गत धारा 420, 406 भा०दं०सं० विरूद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा प्रकरण में धारा–409, 467, 468, 471 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी।

3. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई धोखाधड़ी/ठगी नहीं की गयी है, अभियुक्त निर्दोष है तथा मात्र तंग व परेशान करने के उद्वेश्य से उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उक्त घटना में अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं है तथा रिपोर्टकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लेन–देन स्पष्ट नहीं दिखाया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्त ने मुकदमा वादी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है और न ही वह मुकदमा वादी को जानता है। रिपोर्टकर्ता द्वारा मुकदमा झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर लिखाया गया है; अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है और वह निर्दोष है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 409, 406, 467, 468, 471 आई.पी.सी. का अपराध नहीं बनता है तथा उसका उक्त मामले से कोई संबंध या सरोकार नहीं है। अभियुक्त साधारण व संभ्रांत परिवार से है, परिवार के पालन–पोषण की पूर्ण जिम्मेदारी उसी पर है तथा समाज में उसकी अच्छी छवि है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। यह उसकी प्रथम जमानत प्रार्थना है; अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। अभियुक्त दिनांक 05/05/2022 से जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न सी.डी. का अवलोकन किया गया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुये स्वयं को अनुचित लाभ पहुँचाकर तथा वादी को अनुचित नुकसान पहुँचाकर वादी द्वारा उक्त कम्पनी में निवेश किये गये 4,60,000/– के एवज में न तो कोई फलैट दिये जाने एवं न ही वादी द्वारा जमा किये गये उक्त वर्णित रूपयों को उन्हें वापिस किये जाने का आरोप है। विवेचना

के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अभिलेखों से यह भी परिलक्षित होता है कि समान प्रकृति के कई व्यक्तियों से धनराशि प्राप्त की गयी है। थाने से आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त 46 अन्य समान प्रकृति के आपराधिक मामलों का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। आरोप आर्थिक अपराध से संबंधित हैं, जिनमें धोखाधड़ी एवं कूटरचना का तत्व सम्मिलित है। प्रस्तुत मामले में आरोप–पत्र सम्बंधित न्यायालय में प्राप्त हो चुका है तथा सह–अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है।

7. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

8. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–10.03.2026

पवन कुमार, पी.ए.

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191